पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2019

अनवान :

1. भूपसिंह पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. हनुमानसिंह पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजबाला पत्नी स्व0 सुभाष पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. सोनिया पुत्री स्व0 सुभाष आयु 16 वर्ष
5. मोनिका पुत्री स्व0 सुभाष आयु 14 वर्ष
6. अशोकुमार पुत्र स्व0 सुभाष आयु 12 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती वली मात राजबाला पत्नी स्व0 सुभाष पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासीगण मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह उर्फ हरीराम पुत्र बालुराम उर्फ बाला जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रोशनी पुत्री हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री मुन्शीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2 की तरफ से श्री ताराचन्द मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतो डिक्री किया जाता है तथा घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के वर्तमान खात सं0 57/52 के खसरा सं0 5 की 0.936 हैक्टयर व खसरा सं0 23 की 16.048 हैक्टय खसरा सं0 283 की 10.497 हैक्टयर कुल 27.481 हैक्टयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवाद सं0 1 हरिसिंह उर्फ हरीराम पुत्र बाला के नाम से 1/4 हिस्सा दर्ज है, उसमे प्रतिवाद सं0 2 रोशनी ने अपना हक हिस्सा वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे तर्क व दिया है जिसके चलते उक्त वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 हरीराम के नाम दर्ज है उस वादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 1 हरीराम संयुक्त रूप से 3/4 भाग के तथ वादीगण सं0 3 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 भाग के अनुसार खातेदार काश्तकार है चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 2 रोशनी ने अपना हक हिस्सा वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीय

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक व रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)

R.A.S.

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएएस

प्रकरण सं0 : 168/2019

अनवान :

1. भूपसिंह पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. हनुमानसिंह पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
3. राजबाला पत्नी स्व0 सुभाष पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
4. सोनिया पुत्री स्व0 सुभाष आयु 16 वर्ष
5. मोनिका पुत्री स्व0 सुभाष आयु 14 वर्ष
6. अशोकुमार पुत्र स्व0 सुभाष आयु 12 वर्ष नाबालिगान जरिये कुदरती वली माता राजबाला पत्नी स्व0 सुभाष पुत्र हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासीगण मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह उर्फ हरीराम पुत्र बालुराम उर्फ बाला जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. रोशनी पुत्री हरिसिंह उर्फ हरीराम जाति खाती निवासी मोठसरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी
वकील श्री ताराचन्द मोठसरा: प्रतिवादी सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक : 25-02-2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मोठसरा तहसील भादरा के वर्तमान खाता सं0 57/52 के खसरा सं0 5 की 0.936 हैक्टैयर खसरा सं0 23 की 16.048 हैक्टयर खसरा सं0 283 की 10.497 हैक्टयर कुल 27.481 हैक्टयर बारानी खातेदारी मे प्रतिवादी हरिसिंह उर्फ हरीराम के नाम से 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 हिन्दू है व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादं भूमि पहले वादीगण सं0 1 व 2 के दादा बालुराम उर्फ बाला की खातेदारी हुआ करती थी जो वादीगण सं0 1 व 2 तथा उनके भाई स्व0 सुभाष तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 को जन्म से प्राप्त हुई है। वादीगण सं0 1 व 2 के भाई सुभाष का देहान्त होने पर उसके हिस्सा की भूमि वादीगण सं0 3 ता 6 को प्राप्त हो गई थी। परन्तु वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम महज कर्ता खानदान के चलते दर्ज हो गई थी। वादभूमि की बाबत वादीगण एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमे प्रतिवादी सं0 2 रोशनी ने वादभूमि मे अपना हक हिस्सा था वह वादीगण सं0 1 व 2 तथा उनके भाई सुभाष व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर कुल वादभूमि जो प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है वह वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

अनुसार एंव वादीगण सं0 3 ता 6 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा इसी अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादी सं0 1 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पडता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ने वादपत्र की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जबाबदावा पेश किया। जिस पर पत्रावली मे कोई तनकी बननी नहीं पाई गई।

साक्ष्य वादी में वादी हनुमानसिंह के बयान करवाये गये एंव साक्ष्य वादी मे वादभूमि की वर्तमान जमाबन्दी रोही मोठसरा सम्वत 2073 से 2076 प्रदर्श 1 व जमाबन्दी सम्वत 2001 प्रदर्श 2 तथा सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये तथा सुभाष का मृत्यु प्रमाणपत्र पेश किया। साक्ष्य वादी समाप्त करने के उपरान्त बहस वकील वादी एंव प्रतिवादीगण सुनी गई।

दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का भी जन्म से हक निहित है। प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावा के खण्डन मे कोई साक्ष्य पेश नही किया है तथा अपने जवाबदावा मे वादीगण के दावा के सभी तथ्यों को स्वीकार किया है। इसलिये खण्डन मे प्रतिवादीगण ने कोई खण्डन नहीं किया है तथा वादीगण के दावा को स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने रोही मोठसरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता हरिसिंह उर्फ हरीराम पुत्र बाला के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है।

हस्तगत वाद में वादीगण ने अपने दावा में वाद भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत 2076 व सम्वत 2001 की प्रमाणित जमाबन्दी पेश की है, तथा सदस्य प्रमाण पत्र मे हरिसिंह उर्फ हरीराम के वारिसान में तीन पुत्र वादी भूपसिंह व हनुमानसिंह तथा स्व० सुभाष व एक पुत्री रोशनी व पत्नी नारायणी इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रतिवादी सं0 1 हरीराम के तीन पुत्र व एक पुत्री है तथा उनको मिलाकर कुल पांच वारिसान बनते है जिसमे से प्रतिवादी सं0 2 रोशनी ने अपना हक हिस्सा वादीगण सं0 1 व 2 तथा अपने मृतक भाई सुभाष तथा पिता प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे अपना हक हिस्सा तर्क कर दिया है जिसके चलते अब प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज 4 हिस्सेदार शेष रहते है जिनका वाद कृषि भूमि में प्रत्येक का 1/4 हिस्सा बनता है तथा सुभाष के देहान्त होने पर उसका 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण सं0 3 ता 6 को प्राप्त हुई है। वादीगण वादभूमि को दादालाई साबित व अपने दावा को साबित करने मे सफल रहे है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मोठसरा के वर्तमान खाता सं0 57/52 के खसरा सं0 5 की 0.936 हैक्टयर व खसरा सं0 23 की 16.048 हैक्टयर, खसरा सं0 283 की 10.497 हैक्टयर कुल कित 3 की 27.481 हैक्टयर जिसमे प्रतिवादी सं0 1 हरिसंह उर्फ हरीरम पुत्र बाला के नाम से जो 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है, उसमे से वादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 2 संयुक्त रूप से 3/16 भाग के व वादीगण सं0 3 ता 6 संयुक्त रूप से 1/4 भाग के

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं0 2 रोशनी ने अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग दिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 हरिसिंह उर्फ हरिराम पुत्र बाला के नाम दर्ज भूमि को वादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से संयुक्त रूप से 3/4 भाग व वादीगण सं0 3 ता 6 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 भाग के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24-02-2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
(फास्ट ट्रेक)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.02.25 14:05:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: